

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 36 / 2025
उनवान

1. जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र बनाम
हैयात जाति मुसलमान निवासी
सगराणी तहसील रामसर।

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 14.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जमाल पुत्र

हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात जाति मुसलमान निवासी सगराणी तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या 397 रकबा 14.1235 हेक्टैयर मौजा सगराणी पटवार मण्डल बूठिया में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात की जगह जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः राजस्व रेकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 397 रकबा 14.1235 हेक्टैयर मौजा सगराणी पटवार मण्डल बूठिया के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

क्रमांक : रीडर / 2025 / 7-9
प्रतिलिपि :-

दिनांक 14.01.2025

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी जमाल पुत्र हैयात, ईस्माल पुत्र हैयात
3. पटवारी हल्का बूठिया।




उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर